

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ ।

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक:28अक्टूबर,2016

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि प्रान में स्थानान्तरित होने के पूर्व ही कार्मिक के सेवानिवृत्त होने की दशा में कार्मिकों की डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पेंशन निदेशालय के पत्रांक - पे0नि0/ एन0पी0एस0-2(50)सेवानिवृत्त/2016-17/5120 दिनांक 02-09-2016 के माध्यम से की गयी पृच्छाओं के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे कार्मिकों के डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि जिसका हस्तांतरण संबंधित कार्मिक के प्रान (PRAN) में नहीं हो सका और वह सेवानिवृत्त हो गया अथवा संबंधित कार्मिक को प्रान आवंटित होने से पूर्व ही वह सेवानिवृत्त हो गया, ऐसे सभी मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के डी0सी0आई0 खाते में जमा अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशि का भुगतान, भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित पेंशन निदेशालय के मध्यम से करा दिया जाये ।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।